क्या मैं यह कर सकता/सकती हूँ या नहीं?

नवीनतम जानकारी अगस्त 2012

Hindi

इस प्रपत्र में यह बताया गया है कि आप घोषित Fire Danger Periods (अग्नि खतरा काल) के दौरान और Total Fire Ban (सम्पूर्ण अग्नि निषेध) के दिनों पर, जब खुले स्थान में आग का प्रयोग करना कानूनी रूप से निषिद्ध होता है तब क्या कर सकते/सकती हैं और क्या नहीं।

CFA अधिक गर्मी के मौसम में एक के बाद एक नगरपालिका में Fire Danger Periods (अग्नि खतरा काल) की घोषणा करता है। अगर इसे उठाया या बदला न गया हो तो ये रोक 1 मई तक जारी रहती है। राजकीय वनों, राष्ट्रीय, राजकीय और क्षेत्रीय उद्यानों में तथा सुरक्षित सरकारी भूमि पर अग्नि-निषेध पूरे साल भर लागू रहता है। इन क्षेत्रों में आग के प्रतिबंद्ध के बारे में सलाह के लिए स्थानीय DSE तथा Parks Victoria से सम्पर्क कीजिए।

जब आग के तेजी से फैलने और काबू से बाहर चले जाने की सम्भावना अधिक होती है तो CFA उन दिनों के लिए Total Fire Bans (सम्पूर्ण अग्नि निषेध) घोषित करता है। Fire Danger Periods (अग्नि खतरा काल) के दौरान और Total Fire Ban (सम्पूर्ण अग्नि निषेध) के दिनों पर आग जलाना गैरकानूनी है तथा इससे बड़ा जुर्माना तथा जेल भी हो सकती है।

क्या मैं यह कर सकता/सकती हूँ या नहीं?		Fire Danger Periods (अग्नि खतरा काल) के दौरान		Total Fire Ban Days (सम्पूर्ण अग्नि निषेध के दिनों) पर
क्या मैं बार्बेक्यू का आयोजन कर सकता/सकती हूँ, कैम्पफ़ायर जला सकता/सकती हूँ या गर्मी या आराम के लिए आग जला सकता/सकती हूँ? 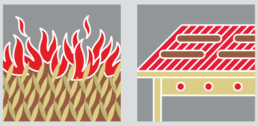	h;	केवल तभी जबकि: ☑ हवा की गति 10 किमी प्रति घंटा से अधिक न ☑ आग **समुचित रूप से निर्मित** किसी अग्नि-स्थल पर या कम से कम 30 सेमी गहरे गड्ढे में आग जलाई जाए ☑ बार्बेक्यू के बाहरी परिधि के 3 मीटर तक का क्षेत्र किसी ज्वलनशील पदार्थ से मुक्त हो ☑ आग 1 वर्ग मीटर से ज्यादा की जमीन में न फैलें और प्रयोग किए जाने वाले ठोस ईंधन का माप कम से कम हो और आवश्यकता से अधिक न हो ☑ आग के जलते रहने के पूरे समय कोई व्यक्ति इसके नज़दीक उपस्थित हो तथा आवश्यकतानुसार उसे बुझाने में समर्थ हो। ☑ लोगों के जाने से पहले आग को पूरी तरह बुझा देना होगा। कृपया ध्यान दें कि सी एफ़ ए नियम (CFA Act) के अनुसार "समुचित रूप से निर्मित अग्निस्थल" का मतलब है - ऐसा अग्निस्थल जो पत्थर, धातु, कंकरीट या किसी ऐसे अज्वलनशील पदार्थ से निर्मित हो जो आग की परिधि को सीमित कर सके। समुचित रूप से निर्मित अग्निस्थल में व्यावसायिक रूप से बनाए गए बार्बेक्यू के लिए अनुमति देने पर विचार किया जा सकता है।	h; nhl	स्थाई उपकरण के तौर पर बना बार्बेक्यूख ☑ गैस या बिजली से जलाया जाने वाला स्थाई उपकरण के तौर पर बना बार्बेक्यू जो ईंट, पत्थर या कंकरीट से निर्मित हो या भोजन पकाने के लिए अज्वलनशील पदार्थ से निर्मित हो ☑ या जिसमें केवल गैस या बिजली का प्रयोग होता हो, जो व्यावसायिक रूप केवल खाना बनाने के लिए हो (अस्थाई बार्बेक्यू शामिल है) और जब जलाये जाए तो स्थिर रहें, बशर्ते कि: ☑ बार्बेक्यू के बाहरी परिधि के 3 मीटर तक का क्षेत्र किसी ज्वलनशील पदार्थ से मुक्त हो ☑ या तो आपके पास पानी के नलके से जुड़ा हुआ पाइप या फिर कम से कम 10 लीटर पानी से भरा कोई बर्तन तुरन्त प्रयोग के लिए तैयार हो ☑ आग के जलते रहने के पूरे समय कोई व्यक्ति इसके नज़दीक उपस्थित हो तथा आवश्यकतानुसार उसे बुझाने में समर्थ हो। ☑ लोगों के जाने से पहले आग को पूरी तरह बुझा देना होगा। **कैंपफ़ायर, गर्मी या वैयक्तिक आराम के लिए जलाई गई आग Total Fire Ban Days (सम्पूर्ण अग्नि निषेध के दिनों) के दौरान वर्जित है। ठोस या द्रव ईंधन से जलाए गए बार्बेक्यू और ओवन का उपयोग भी Total Fire Ban Days (सम्पूर्ण अग्नि निषेध के दिनों) के दौरान वर्जित है।**
मैं भोजन पका कर उपलब्ध कराता/कराती (केटरर) हूँ या सामुदायिक, धर्मार्थ, चंदा एकत्रित करने वाली या उसके समान संस्था हूँ। क्या मैं घर से बाहर आयोजित किए गए किन्हीं जलसों में बार्बेक्यू या स्पिट का उपयोग करने के लिए आग जलाने का प्रबन्धन करके आग जला सकता/सकती हूँ? 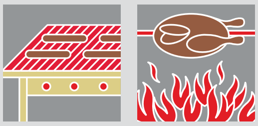	h;	केवल तभी जबकि: ☑ हवा की गति 10 किमी प्रति घंटा से अधिक न ☑ अगर आग **उचित रूप से निर्मित** किसी अग्निस्थल पर जलाई जाए, या कम से कम 30 सेमी गहरे गड्ढे में आग जलाई जाए ☑ (बार्बेक्यू या स्पिट) के बाहरी परिधि के 3 मीटर तक का क्षेत्र किसी ज्वलनशील पदार्थ से मुक्त हो ☑ आग 1 वर्ग मीटर से ज्यादा की जमीन में न फैलें और प्रयोग किए जाने वाले ठोस ईंधन का माप कम से कम हो और आवश्यकता से अधिक न हो ☑ आग के जलते रहने के पूरे समय कोई व्यक्ति इसके नज़दीक उपस्थित हो तथा आवश्यकतानुसार उसे बुझाने में समर्थ हो। ☑ लोगों के जाने से पहले आग को पूरी तरह बुझा देना होगा।	h;	केवल तभी, जब आपके पास **CFA** या **MFB** से प्राप्त एक लिखित अनुमति हो, और आप इस अनुमति की शर्तों का पालन करें। सामुदायिक, धर्मार्थ या चंदा एकत्रित करने वाली संस्था (उदाहरण के लिए, एक विद्यालय या खेल वर्ग जो अनुदान इकट्ठा कर रहा है) अपने काम के अन्तर्गत अन्य व्यक्तियों के लिए भोजन बनाने के लिए आग जलाने की अनुमति माँग सकते हैं। ये अनुमति जारी करने का अधिकार - CFA के स्थानीय जिला अधिकारी, CFA मुख्यकार्यालय या MFB जोन अधिकारियों को है। नगरपालिका अग्नि बचाव अधिकारी (Municipal Fire Prevention Officers) यह अनुमति जारी नहीं कर सकते हैं।

क्या मैं यह कर सकता/सकती हूँ या नहीं?

नवीनतम जानकारी अगस्त 2012

क्या मैं यह कर सकता/सकती हूँ या नहीं?		Fire Danger Periods (अग्नि खतरा काल) के दौरान		Total Fire Ban Days (सम्पूर्ण अग्नि निषेध के दिनों) पर
क्या मैं घास काँट-छाँट, खर-पतवार, नीचे जमीन पर उगने वाले पौधे या किसी अन्य वनस्पति को खुले में जला सकता/सकती हूँ? 	h;	**केवल तभी जबकि:** ✓ आपके पास सरकारी अग्नि बचाव अधिकारी, नगरपालिका अग्नि बचाव अधिकारी या CFA के अधिकारी की लिखित अनुमति हो ✓ आप इस अनुमति की शर्तों का पालन कर ✓ आग के जलते रहने के पूरे समय कोई व्यक्ति इसके नज़दीक उपस्थित हो तथा आवश्यकतानुसार उसे बुझाने में समर्थ हो। ✓ लोगों के जाने से पहले आग को पूरी तरह बुझा देना होगा। कई काउँसिल अपनी नगरपालिका में स्मॉग चेतावनी के दिनों या विशेष स्थानों या समयों पर ऐसी आग जलाने का निषेध करती हैं। नगरपालिका अग्नि बचाव अधिकारी से जाँच लीजिए।	nhl	Total Fire Ban Days (सम्पूर्ण अग्नि निषेध के दिनों) में घास, खर-पतवार, काँट-छाँट या कचरे को खुले में जलाना वर्जित होता है। नगरपालिका अग्नि बचाव अधिकारियों द्वारा जारी की गई सभी अनुमतियाँ Total Fire Ban Days (सम्पूर्ण अग्नि निषेध के दिनों) पर हटा दी जाती हैं।
क्या मैं ऐसे स्थानों में वाहन चला सकता/सकती हूँ जहाँ पर वाहन फसल, घास, काँट-छाँट, खर-पतवार, नीचे जमीन पर उगने वाले पौधों या अन्य किसी वनस्पति के संपर्क में आ सकता है? 	h;	**केवल तभी, जबकि वाहन में एक कार्यक्षम साइलेंसिंग उपकरण (जैसे कि मफलर) लगा हो और जो सभी धुँए को इंजन से लेकर साइलेंसिंग उपकरण से गुजारे।** चाहे Total Fire Ban Day (सम्पूर्ण अग्नि निषेध के दिन) घोषित न भी हो, पर आपको गर्म और सूखे की स्थिति में शुष्क वनस्पति के बीच वाहन नहीं चलाने चाहिए, क्योंकि इन्जन से निकलने वाली गर्म गैस से आग लगने का खतरा पैदा हो सकता है।	h;	**केवल तभी, जबकि वाहन में एक कार्यक्षम साइलेंसिंग उपकरण (जैसे कि मफलर) लगा हो और जो सभी धुँए को इंजन से लेकर साइलेंसिंग उपकरण से गुजारे।** जहाँ तक सँभव हो सके ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि इंजन से निकलने वाली अत्यधिक गर्म गैस और शुष्क वनस्पति से आग लगने का काफ़ी खतरा पैदा हो सकता है।
क्या मैं चेन-सॉ, घास-पात को काट कर सँवारने वाले ट्रिमर या लॉन-मोअर का उपयोग कर सकता/सकती हूँ? 	h;	**चैन वाली आरी, घास या पौधे काटने वाले या मैदान पर घास काँटने की मशीन *का प्रयोग हरी वनस्पति* में बिना रोक किया जा सकता है।** पर वहाँ *जहाँ हरी वनस्पति नहीं है*, चैन वाली आरी, घास या पौधे काटने वाले या मैदान पर घास काँटने की मशीन अवश्य ही: ✓ आग लगा सकने वाली खामियों और यॉंत्रिक त्रुटियों से मुक्त होने चाहिए ✓ इनमें अनुमोदित स्पार्क अरेस्टर लगा होना चाहिए ✓ मशीन के चारों ओर कम से कम ३ मीटर का क्षेत्र किसी भी ज्वलनशील पदार्थ से मुक्त होना चाहिए मशीन चलाने वाले, प्रयोग किए जाने वाले समय मशीन के पास हमेशा रहें, और इनमें से कोई एक आग रोकने वाले यंत्र को अपने पास अवश्य रखें: › कम से कम पानी छिड़कने वाला एक पम्प, जो प्रयोग करने योग्य हो और पानी से भरा हो जिसकी क्षमता 9 लीटर पानी से कम न हो › कम से कम एक पानी का (दाव भंड़ार), आग बुझाने के लिए, जो प्रयोग करने योग्य हो और जिसमें पानी का दबाव सही रखा हो, जिसकी क्षमता 9 लीटर पानी से कम न हो। ध्यान दीजिए कि ऊपर उल्लेख किए गए चिंगारी रोकने वाला यंत्र, पानी छिड़कने वाला पम्प, आग बुझाने का यंत्र सभी ऑस्ट्रेलिया में निर्धारित पैमाने के हिसाब से होने चाहिए।	h;	जब **Fire Danger Period** (अग्नि खतरा काल) लागू हो। अगर संभव हो तो यह काम इस समय के लिए टाल दें, क्योंकि आग लगने का खतरा काफ़ी अधिक होता है।

क्या मैं यह कर सकता/सकती हूँ या नहीं?

नवीनतम जानकारी अगस्त 2012

क्या मैं यह कर सकता/ सकती हूँ या नहीं?		Fire Danger Periods (अग्नि खतरा काल) के दौरान		Total Fire Ban Days (सम्पूर्ण अग्नि निषेध के दिनों) पर
क्या मैं ये गतिविधियाँ कर सकता हूँ जिसमें शामिल हैं: › वेल्डिंग, घिसाई, झुलसाना, सोल्डरिंग या गैस-कटिंग › मधु-मक्खीयों को नई जगह बसाना › शहद निकालना › रेल का रख-रखाव › **डामर (bitumen) गर्म करना?** 	h;	**केवल तभी जबकि:** ☑ अग्नि-प्रतिरोधी शील्ड या गार्ड का चिंगारियों, गर्म धातु या धातु के मैल को रोकने के लिए उपयोग किया जाए ☑ कार्यस्थल के चारों ओर कम से कम 1.5 मीटर के क्षेत्र में कोई ज्वलनशील पदार्थ न हो या इस क्षेत्र को पर्याप्त रूप से पानी से गीला कर दिया जाए, जिससे कि आग न फैल सके ☑ आपके पास पानी के पंप उपलब्ध हो या कम से कम 9 लीटर पानी की मात्रा का पानी से छिड़काव वाला झोला (knapsack) हो ☑ काटे गए धातु के सभी टुकड़े और गर्म पदार्थ आग-प्रतिरोधी बर्तन में रखे जाएंश्वा ☑ आग के जलते रहने के पूरे समय कोई व्यक्ति इसके नज़दीक उपस्थित हो तथा आवश्यकतानुसार उसे बुझाने में समर्थ हो। ☑ लोगों के जाने से पहले आग को पूरी तरह बुझा देना होगा।	nhl	**गतिविधियाँ जिसमें शामिल हैं:** › वेल्डिंग, घिसाई, झुलसाना, सोल्डरिंग या गैस-कटिंग › मधु-मक्खीयों को नई जगह बसाना › शहद निकालना › रेल का रख-रखाव › डामर (bitumen) गर्म करना ये गतिविधियाँ Total Fire Ban Days (सम्पूर्ण अग्नि निषेध के दिनों) पर विशेष अनुमति जो इन दिनों लागू होती है के बिना वर्जित हैं। ये सेक्शन 40 परमिट कहलाता है। हो सकता है कि CFA या MFB कुछ सीमित परिस्थितियों में Total Fire Ban Days (सम्पूर्ण अग्नि निषेध के दिनों) पर इन्हें परमिट प्रदान करें: ☑ सामुदायिक उपकारी सश्नस्थानों, धर्मार्थ, चंदा एकत्रित करने वाली संस्थों को ☑ वैधानिक सश्नस्थाओं और काउँसिलें को, ☑ औद्योगिक या व्यापारिक काम-काजों को उनके द्वारा किए जाने वाले कार्यों या सार्वजनिक मनोरन्जन या किसी धार्मिक या सांस्कृतिक कारणों के लिए। ये अनुमति CFA के स्थानीय जिला अधिकारी, CFA मुख्यकार्यालय या MFB जोन अधिकारियों के पास से जारी होना आवश्यक है तथा यह अनुमति नगरपालिका अग्नि बचाव अधिकारी द्वारा जारी नहीं की जा सकती।
क्या मैं किसी भट्टी (furnace) का उपयोग कर सकताधसकती हूँ? 	h;	**केवल तभी, जबकि:** 1. आप अपनी काउँसिल यानि नगरपालिका से स्थानीय कानूनों के बारे में जाँच लें कि क्या भट्टियों के प्रयोग (जैसेकि धुँआ चेतावनी दिनों पर, विशेष स्थानों या समयों पर) निषेध या शर्तें लागू हैं। 2. और निम्नलिखित आवश्यकतायें पूरी हो रही हैं: ☑ आग भट्टी के अंदर कार्यक्षम रूप से सीमित हो ☑ हवा की गति 10 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक न हो ☑ भट्टी के बाहरी परिधि के 3 मीटर तक का क्षेत्र या वायु स्थल किसी ज्वलनशील पदार्थ से मुक्त हो ☑ जब आग जल रही हो तब हर समय आग को बुझाने के लिए प्रचुर पानी उपलब्ध होना चाहिए ☑ आग के जलते रहने के पूरे समय कोई व्यक्ति इसके नज़दीक उपस्थित हो तथा आवश्यकतानुसार उसे बुझाने में समर्थ हो। ☑ लोगों के जाने से पहले आग को पूरी तरह बुझा देना होगा।	nhl	Total Fire Ban Days (सम्पूर्ण अग्नि निषेध के दिनों) के दौरान भट्टी का प्रयोग करना वर्जित होता है।

क्या मैं यह कर सकता/सकती हूँ या नहीं?

नवीनतम जानकारी अगस्त 2012

क्या मैं यह कर सकता/ सकती हूँ या नहीं?		Fire Danger Periods (अग्नि खतरा काल) के दौरान		Total Fire Ban Days (सम्पूर्ण अग्नि निषेध के दिनों) पर
क्या मैं स्वयं चालित फॉर्म मशीनों, ट्रैक्टर, कटाई, मिट्टी व जमीन खोदने के यंत्र या ताप से स्वयं चलने वाली सड़क बनाने की मशीनों का प्रयोग फसल, घास, ठूँठ, घासपात या अन्य पेड़ के नीचे उगे या अन्य वनस्पति के आसपास प्रयोग कर सकता हूँ?	h;	केवल तभी, जबकि मशीन में: ✓ आग लगा सकने वाली खामियाँ और याँत्रिक त्रुटियाँ न हों ✓ अगर उसमें कार्यरत स्पार्क खींचने वाले लगे हुए हैं (अन्यथा इसमें टरबोचार्जर या खींचकर हवा साफ करने वाला लगा हो) ✓ आग रोकने का यंत्र लगा हो जिसमें कोई एक क्षमता सम्मिलित हो: › कम से कम पानी छिड़कने वाला एक पम्प, जो प्रयोग करने योग्य हो और पानी से भरा हो जिसकी क्षमता 9 लीटर पानी से कम न हो › कम से कम एक पानी का (दाब भंडार), आग बुझाने के लिए, जो प्रयोग करने योग्य हो और जिसमें पानी का दबाव सही रखा हो, जिसकी क्षमता 9 लीटर पानी से कम न हो। ध्यान दीजिए कि ऊपर उल्लेख किए गए चिंगारी रोकने वाला यंत्र, पानी छिड़कने वाला पम्प, आग बुझाने का यंत्र सभी ऑस्ट्रेलिया में निर्धारित पैमाने के हिसाब से होने चाहिए।	h;	जब **Fire Danger Period** (अग्नि खतरा काल लागू हो)। अगर संभव हो तो यह काम इस समय के लिए टाल दें, क्योंकि आग लगने का खतरा काफ़ी अधिक होता है।

मैं परमिट के लिए कैसे आवेदन कर सकता हूँ?
आप cfa.vic.gov.au की वेबसाइट से आवेदन पत्र निकाल सकते हैं। आप अपने स्थानीय CFA जिला मुख्यकार्यालय को सम्पर्क करके एक आवेदन पत्र डाक से भेजने के लिए भी कह सकते हैं। वेबसाइट पर स्थानीय CFA जिला मुख्यकार्यालय को सम्पर्क करने के नम्बरों की सूची उपलब्ध हैं, या **(03) 9262 8444** पर फोन करके भी मँगवा सकते हैं।
अगर आपको परमिट 'मेट्रोपोलिटन फायर डिस्ट्रिक्ट' में कार्य करने के लिए चाहिए तो आप MFB को **(03) 9662 2311** या mfb.vic.gov.au पर सम्पर्क कर सकते हैं।

मुझे बुशफायर की जानकारी या अपने क्षेत्र में सुनियोजित आग के जलने के बारे में कैसे पता चलेगा?
Victorian Bushfire Information Line को **1800 240 667** पर या National Relay Service (नेशनल रिले सर्विस) के माध्यम से **1800 555 677** पर फोन करें।

मैं अपनी सम्पत्ति पर जलाने की योजना कर रहा हूँ। मैं आपातकालीन सेवाओं को कैसे सूचित कर सकता हूँ?
अगर आपको जलाने का परमिट CFA या नगरपालिका अग्नि बचाव अधिकारी द्वारा जारी किया गया है तो आपको Emergency Services Telecommunications Authority को **1800 668 511** पर फोन करके पहले से नोटिस देना होगा।

मैं आग लगने की सूचना कैसे दूँ?
आग की सूचना के लिए फोन पर Triple Zero **(000)** मिलाइए।

CFA द्वारा प्रकाशित।